कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 467/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 26.12.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 26.12.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस- नोट दिनांक 26.12.2025
थाना- कोतवाली जनपद आजमगढ़
आनलाइन क्रय विक्रय ऐप के माध्यम से मोबाइल फोन विक्रय करने के नाम पर धोखाधडी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक **23.11.2025** को वादी **अमन निषाद पुत्र विजय निषाद**, निवासी कोलपाण्डेय, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसने पुराने सामानों के आनलाइन क्रय-विक्रय **App** पर मोबाइल खरीदने हेतु संपर्क किया था जिसके द्वारा आरोपी ने चैटिंग **App** के माध्यम से संपर्क कर **₹4500** में मोबाइल देने की बात कही गई। आरोपी द्वारा अग्रिम धनराशि लेकर मोबाइल न देकर धोखाधड़ी की गई। जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर **मु0अ0सं0- 619/2025**, धारा **318(4) बीएनएस** व **66-डी आईटी एक्ट** पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 26.12.2025 को नि0 रफी आलम मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त सचिन यादव पुत्र लक्षिराम यादव मुल निवासी ग्राम अमठा गोपालपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ हाल पता बगदासी सोहबतबाग थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ उम्र करीब 30 वर्ष को ग्राम चिरैयाकोट से समय करीब 12.30 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम– नि0 रफी आलम थाना कोतवाली आजमगढ़।

प्रेस- नोट दिनांक 26.12.2025
थाना- कोतवाली जनपद आजमगढ़
किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 26.07.2025 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया था कि दिनांक 21.07.2025 को वादी की नाबालिग पुत्री घर से बाबा पाण्डेश्वर नाथ मंदिर पूजा करने निकली परन्तु वापस नही आयी। तथा 4- 5 दिनों तक काफी खोजबीन किया तो पता चला कि अम्बुज चौहान पुत्र अज्ञात सा0 शेखपुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ वादी की पुत्री को बहला फूसलाकर कहीं लेकर चला गया है। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर *मु0अ0सं0*- 348/25 *धारा* 137(2)/87 BNS पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 26.12.2025 को उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अम्बुज चौहान पुत्र प्रभु चौहान निवासी ग्राम शेखपुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष को बड़ा गणेश मंदिर से समय करीब 13.15 बजे गिरफ्तार कर चालना मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम व कां0 नीरज कुमार थाना कोतवाली आजमगढ़।